## RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

## ORDER

No.Estt.(RJS)/01/2024

Date: 02.01.2024

I

The services of Shri Hari Om Sharma Attri (RJ00167), an Officer in the District Judge Cadre, have been repatriated from the post of Judge, Labour Court No.2, Jaipur Metropolitan-II vide State Govt. Order No. F.17(6)श्रनि/2023 dated 28.12.2023, consequent thereupon, he is hereby transferred/posted on the post of District and Sessions Judge, Hanumangarh vice Shri Sanjeev Mago (RJ00150), and he is directed to join his new assignment at the earliest.

II

The State Government Order No F.17(6)श्रनि/2023 dated 28.12.2023 vide which Shri Rajesh Chander Gupta (RJ00268), an officer in the District Judge Cadre, presently posted as P.O. Rajasthan Non-Govt. Educational Institutional Tribunal, Jaipur Metropolitan-I, has been transferred/posted as Judge, Industrial Tribunal, Jaipur Metropolitan-II, is hereby endorsed for compliance.

#### Note:

- 1. The concerned Officer(s) are directed to hand over the charge in accordance with Order No.24/P.I. Dated 23.11.1998.
- 2. In case successor takes over charge before issuance of posting order of the Officer concerned, the later shall await his posting order at the same Headquarter.
- 3. Officer(s) is/are directed to comply the Order No. 4/P.I. Dated 13.03.2023.

**BY ORDER** 

C.P. Shrimali' (CHANDRA PRAKASH SHRIMALI) REGISTRAR GENERAL 21. 1624.

### No.Estt.B2(v)1/2024/01

Date: 02.01.2024 Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The Registrar-Cum-Principal Secretary to Hon'ble the Chief Justice, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.
- 2. The Secretary to the Law Minister, Government of Rajasthan, Jaipur.
- 3. All the sitting Hon'ble Judges at RHC, Jodhpur/Bench, Jaipur through E-mail.
- 4. The Principal Secretary to the Government, Law Department-Cum-Legal Remembrancer, Rajasthan, Jaipur.
- The Secretary to the Government of Raj, Department of General Administration (Gr.2), Jaipur.
  The Secretary to the Government of Rajasthan, Labour, Skill, Employment & Entrepreneurship
- Department, Rajasthan, Jaipur
- The Secretary, Lokayukta, Sachivalaya, Jaipur.
- 8. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
- 9. The Registrar General/Registrar(Vig.)/(Admn.)/(Rules)/(Class.)/(Exam.)/OSD(F&I)/(Judicial) Rajasthan High Court, Jodhpur and Registrar HQ. at Delhi.
- 10. The Registrar (Admn.), Rajasthan High Court Bench, Jaipur with the request to distribute the copies of this order to all the Judicial Officers posted in the Registry at Jaipur Bench, Jaipur/ Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur.
- 11. All Jt. Registrars/ Deputy Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.
- 12. The Concerned District & Sessions Judges with the request to serve/circulate the copy of this order to the concerned Officers/Posts/Courts/Treasury Officers in their Judgeship as per direction issued vide this office letter No 17022 dated 08.10.2015.
- 13. The Director, Rajasthan State Judicial Academy, Jodhpur.

Personal File/ Confidential/ RJS Leave/ A.A.O.(Pension/Budget)

C.P. Showim (CHANDRA PRAKASH SHRIMALI) **REGISTRAR GENERAL** 

2/1/2024.





## राजस्थान सरकार श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

कमांक प.17(6)श्रनि / 2023

जयपुर, दिनांक 28.12.2023

## <u>अधिसूचना</u>

राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक प.17(6)श्रनि / 2023 दिनांक 27.12.2023 जारी कर निम्न न्यायाधीश को उनके समक्ष अंकित न्यायालय में पदस्थापित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947(1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 7 की उप धारा (2) एंव धारा 7 ए की उप—धारा (2) सपठित धारा 8 तथा राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 के नियम, 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इसके द्वारा नीचे सारणी के कालम सं 02 में उल्लेखित राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला जज केडर के अधिकारी को उनके सामने कालम सं 03 में वर्णित औद्योगिक न्यायाधिकरण हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

#### सारणी

क.सं.	अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम
(01)	(02)	(03)
	श्री राजेश चन्दर गुप्ता, न्यायाधीश, पी.ओ. राजस्थान नोन.गवर्नमेंट एज्यूकेशनल इन्टीट्यूशनल ट्रिब्यूनल जयपुर, मेट्रोपुलेटिन—I	मेट्रीपुलेटिन—!!

राज्यपाल के आदेश से,

(नरेश गोकलानी) शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 28.12.2023 में प्रकाशित करने का कष्ट करे।
- 2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज.जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बायलर्स एव ईएसआई विभाग, राज. जयपुर।
- 4. निजी सचिव, आयुक्त, श्रम विभाग, राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 28.12.2023 में प्रकाशित करवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करावें।
- न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।
- 6. श्री राजेश चन्दर गुप्ता, न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपूर।
- 7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव





## राजस्थान सरकार श्रम, कौराल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

कमांक-पं.17(6)श्रनि / 2023

जयपुर दिनांक 28.12.2023

## <u>—ः आदेश :–</u>

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक पीए/आरजी/8()//2023/5313 दिनांक 14.12.2023 के अनुसरण में Shri Rajesh Chander Gupta, Judge, P.O. Rajasthan Non-Govt. Educational Institutional Tribunal, Jaipur, Metropolitan-I का पदस्थापन Judge, Industrial Tribunal, Jaipur, Metropolitan-II के पद पर एतद द्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

Shri Hari Om Sharma Attri, Judge, Labour court No. 2, Jaipur Metropolitan-II की सेवाएं अन्यत्र पदस्थापन हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को तुरन्त प्रभाव से वापस लौटाई जाती हैं।

> आज्ञा से, शासन उप सचिव

# प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेवित है:--

- 1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, माननीय श्रम मंत्री महोदय राज0, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजं०, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बायलर्स एवं ईएसआई विभाग राज0, जयपुर।
  - ७ जिला कलेक्टर, जयपुर।
- 8 निजी सचिव, आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- ९ सम्बन्धित न्यायाधीश/न्यायालय।
- 10 डिविजनल इंजिनियर, टेलिफोन जयपुर।
- 11 अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 28.12.2023 में प्रकाशित करने का कष्ट करे।
- 12 निजी एवं रक्षित पत्रावली।

## प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:--

- 13 रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 14 निजी सचिव, सचिव, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- 15 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 16 प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान समा, जयपुर।
- 17 सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 18 निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर।
- 19 अति, निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
- 20 रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शासन उप सचिव